


ग्रा०- ५१२५ /२०१८/रीवा/भूग्रा०

225-

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर सार्किट कोर्ट रीवा जिला रीवा  
(म०प्र०)



रामयस सेन तनय विश्वनाथ सेन उम्र 60 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम बसौली नं० 2 तह०  
मनगवां जिला रीवा (म०प्र०) ————— निगरानीकर्ता

### बनाम

रामाश्रय सेन तनय विश्वनाथ सेन उम्र 70 वर्ष पेशा सेवा निवृत्त कर्मचारी एवं खेती  
निवासी ग्राम बसौली नं० 2 तह० मनगवां जिला रीवा (म०प्र०) ————— गैर निगरानीकर्ता

अध्य० भू-राजस्व स्थिति  
परिदृश्य द्वारा प्रेषा।  
23-४-१८

निगरानी प्रकरण क्रमांक 107/अ-१२/१७-१८  
न्यायालय श्रीमान् राजस्व निरीक्षक मण्डल गढ़  
तह० मनगवां जिला रीवा के आदेश दिनांक  
29/06/18 के विरुद्ध ।

अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता सन्  
1959ई० ।

मान्यवर,

### संक्षिप्त विवरण

- 1— यह कि आराजी नं० 2/1/1/क व 5/2/1 स्थित ग्राम बसौली नं० 3 तह० मनगवां जिला रीवा में स्थित है, निगरानीकर्ता एवं गैर निगरानीकर्ता के बीच उक्त भूमियों के बीच गलत बटनवारे को लेकर न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष अपील प्रकरण विचाराधीन है, जिसकी आगामी ताठेशी दिनांक 18/10/18 नियत है।
- 2— यह कि गैर निगरानीकर्ता रामाश्रय, निगरानीकर्ता का बड़ा भाई है तथा फर्जी बटनवारा तैयार कर मनमानी रूप से उक्त भूमि में कब्जा कर लिया है जिसका विवाद राजस्व न्यायालयों में चल रहा है।
- 3— यह कि उक्त आराजी का सीमांकन आवेदन राजस्व निरीक्षक वृत्त गढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर राजस्व निरीक्षक की ओर से जरिये पटवारी सूचना पत्र जारी किये गये लेकिन आवेदक को सूचना पत्र जारी नहीं किया गया।
- 4— यह कि राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी ने उक्त फर्जी कार्यवाही करके दिनांक 29/06/18 को सीमांकन की पुष्टि आदेश पारित कर दिया

रामाश्रय

113

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश गवालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण

मंग05125 / रीवा / 2018

जिला—रीवा

रामयस पटेल / रामाश्रय सेन

(1)

(2)

(3)

23.04.19

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राजकुमार शुक्ला  
उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक,  
मण्डल गढ़, तहसील मनगवां के प्रकरण क्रमांक  
187/अ-12/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 29.06.2018 के  
विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता में दिनांक 25.  
06.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित  
संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत  
राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर  
की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा  
जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 04.07.19 को  
कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।

  
(बी.एम.शर्मा),  
सदस्य

